न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 214 सन 2019

अनवान :–

1. बंशीलाल पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विकास पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. मैनादेवी पुत्री रामजीलाल पत्नी महेन्द्र जाति नाई निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रादेवी पुत्री रामजीलाल पत्नी फरसाराम जाति नाई निवासी चक जोड तहसील लुणकरणसर
3. सुमन देवी पुत्री रामजीलाल पत्नी कृष्ण जाति नाई निवासी चक जोड तहसील लुणकरणसर
4. पूनम कुमारी पुत्री रामजीलाल पत्नी राकेश जाति नाई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 30/12/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 118/122 की कुल 16.5970हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता रामजीलाल पुत्र लिछमण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के पिता रामजीलाल पुत्र लिछमण का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ही है वादीगण के पिता रामजीलाल पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी की बहने है एवं रामजीलाल पुत्र लिछमण की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादीगणके पिता भुराराम पुत्र जोधाराम के नाम से दर्ज के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता रामजीलाल पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ही है जिनका वाद भूमि में बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,जो वादी की बहन है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 5 बी बारानी हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता भूरा पुत्र जोधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के पिता भूरा पुत्र जोधाराम एवं उसकी पत्नि हुकमा पत्नि भुराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ही है वादीगण के पिता भुराराम पुत्र जोधाराम के नाम से दर्ज भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादी की बहने है एवं भूराराम पुत्र जोधाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 118/122 की कुल 16.5970हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता रामजीलाल पुत्र लिछमण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता रामजीलाल पुत्र लिछमण के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो प्रस्तुत मृत्यू /वारिस प्रमाण पत्र से पूर्णत्या साबित है अर्थात वाद भूमि जो भुराराम पुत्र जोधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,1 ता 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के ,खाता संख्या 118/122 की कुल 16.5970हैक भूमि जो रामजीलाल पुत्र लिछमण के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रामजीलाल पुत्र लिछमण का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बंशीलाल पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विकास पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. मैनादेवी पुत्री रामजीलाल पत्नी महेन्द्र जाति नाई निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रादेवी पुत्री रामजीलाल पत्नी फरसाराम जाति नाई निवासी चक जोड तहसील लुणकरणसर
3. सुमन देवी पुत्री रामजीलाल पत्नी कृष्ण जाति नाई निवासी चक जोड तहसील लुणकरणसर
4. पूनम कुमारी पुत्री रामजीलाल पत्नी राकेश जाति नाई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 758 सन 2019 निर्णय दिनांक– 30/12/2019

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के ,खाता संख्या 118/122 की कुल 16.5970हैक भूमि जो रामजीलाल पुत्र लिछमण के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रामजीलाल पुत्र लिछमण का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)